<u>**अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।**</u> (01)

अभिलेख वाद सं0– 385/2016-17

वाद का प्रकारः– <u>**बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।**</u>

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.22	**Covid-19** के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक 8.12.2022 को उपस्थापित करें। 09/11/22 **अंचल अधिकारी,** **छत्तरपुर।**	
8.12.22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह–पठित –श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू– अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0– 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (**किस्म** —) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अचंल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमिः– मौजा [illegible] थाना नं0 340 खाता सं0 99 प्लॉट सं0 — रकबा 4.48 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म —, अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 1 के पृष्ट सं0 162 पर जमाबंदी रैयत कुर्बान मियां पिता रेडु मियां — के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

08/12/22

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में मात्र तीन मालगुजारी रसीद ——— समर्पित किया गया है। इस संबध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 19.1.2023 को उपस्थापित करें।

24/12/22

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

19.1.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा ——— मौजा नं0 340 खाता सं0– 99 प्लॉट सं0– ———, रकबा 1.48डी किस्म ——— खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगाान रसीद वर्ष 2013-14 ——— तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षके के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी–II में कायम जमाबंदी सं0 182/2 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

19/01/23

अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

(02)

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू अंचल छत्तरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	खेसरा नं॰	रकवा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म ज…
बुधन मिया पिता खेदु मिया	मड़वा	340	96	–	1.21½	रैयती	–
			88	–	0.24	रैयती	–
			99	–	4.48	गैरमजरुआ मालिक (under 4(h))	
			85	–	0.14 3/8	रैयती	
			34	–	2.85 2/8	गै॰ म॰	
					8.92 7/8 (कुल वर्तमान रकबा)		

वर्तमान में बचत रकबा 6.61¼

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :–

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– 1975-76 से

5. उक्त जामबंदी पंजी–II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– चालू पंजी II में जमाबंदी दर्ज करने वाले पदा॰ का नाम दर्ज नहीं है

6. नामान्तरण/दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– – NA –

7. अवैध जमाँबंदी कायम किये जाने का आधार
   (क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा :–
   (ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :–
   (ग) अवैध भू–बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :–

   जमाबंदी कायम किये जाने का आधार दर्ज नहीं है

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/–रूपये से कम या इससे अधिक) :–

अंचल पदाधिकारी
छत्तरपुर

अवैध जामबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :–
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :–
(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :–
(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :–

अंचल कार्यालय में मौजूद

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :– नही

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :– नही

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :– नही

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :– नही

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :–

प्रतिवेदित भूमि का मांग संयुक्त रूप से मांगधारी के नाम से दर्ज है जैसा की चेक लिस्ट मे दर्ज है पंजी II के पेज पर प्लॉट दर्ज नही रहने के कारण भूमि का मिलान नही किया जा सका। वाद अभिलेख सं० 385/2016-17 के द्वारा मांगधारी के खाता सं० 99 की भूमि पर नोटिस निर्गत किया गया है जो कि गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है उक्त भूमि मांगधारी को कैसे प्राप्त है, के संबंध मे उनके द्वारा कोई साक्ष्य उक्त नोटिस के उपरांत नही किया गया मांग का कुल खतियानी रकबा 8.92 7/8 एकड़ दर्ज है तथा वर्तमान मे चालू मांग 6.61 1/4 एकड़ मौजूद है। चूंकि मांगधारी के द्वारा गै०म० भूमि प्राप्ति के संबंध मे कोई साक्ष्य नही दिया गया ऐसी स्थिती मे नोटिस मे दर्ज खाता सं० 99 मांग रकबा 4.48 एकड़ भूमि का मांग अवैध प्रतीत होता है। अत: खाता सं० 99 रकबा 4.48 एकड़ बचत मांग की भूमि से अवैध मांग हटे हुए शेष मांग को यथावत रखते हुए 4(h) से कार्यवाई की जा सकती है

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :–

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अत: उपरोक्त जमाबंदी मे खाता 99 जो गैरमजरूआ मालिक खाता की है जमीन पर धारा 4(h), BLR Act 1950 की कारवाई करने की अनुशंसा किया जा सकता है

(हस्ताक्षर) 29/08/23

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा०, छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।	उपायुक्त, पलामू।

कार्यालय प्रति

(03)

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– पुख्ता मिया पिता छेदु मियां

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ...1... पृष्ठ सं. 162 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
मड़वा	340	96	–	1.21 1/2
		88	–	0.24
		✓ 99	–	✓ 4.48 (under 4(h))
		85	–	0.14 3/8
		34	–	2.85 2/8
				8.85 7/8 गुस्ताही रकवा

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :–

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– खाता 96, 88, 85 रैयती 99, 34 गै. मा. बचत – 6.61 1/4 एकड़

5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– दर्ज नही है

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार जमाबंदी कायम किये जाने का आधार दर्ज नही है
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू–बंदाबस्ती) :–

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी)
:– अंचल कार्यालय मे मौजूद चालू पंजी-II से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	4772517	–	2013-14

अंचल पदाधिकारी
छतरपुर

कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0 385 **/20**16-17 **(अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950**

सूचना

बनाम बुधन मियां
पिता - खेदु मियां

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा मड़वा थाना नं0 340 खाता सं0 99 खेसरा नं0 — रकबा 785.87 -766.37 से संबधित आपके नाम से ह0 नं0 VII के पंजी–II भाग 1 के पृष्ठ 162 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

Digitally signed by NITYA NAND PRASAD
Date: 2024.05.16 12:58:15 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2810:20fa:67c5:4148